भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 944

गुरुवार, 27 जुलाई, 2023/05 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

"राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस"

944 डा. सोनल मानसिंहः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस" नामक प्रस्ताव पर काम कर रही है;

(ख) क्या अखिल भारतीय स्तर पर एक समान पर्यटक पुलिस प्रणाली बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटक पुलिस के गठन के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समक्ष इस मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय की सिफारिशों पर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटन मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करने के उद्देश्य से 19 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यह पर्यटकों को सुरक्षा और संरक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रशिक्षण सम्बन्धी पहलुओं के साथ पर्यटक केन्द्रित पुलिस व्यवस्था का विकास करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा पर्यटक पुलिस योजना पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था।

******